

दिनांक 13.05.2015 को आयोजित  
राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यावली  
(अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरक्षेत्रीय मार्गों पर परमिट  
नवीकरण संबंधी मामले)

परिवहन विभाग

बिहार, पटना ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-1) पटना से टाकुरगंज मार्ग पर M/S जानकी ट्रॉसपोर्ट सर्विस के वाहन सं0-बी.आर.-01पी.ए.-7101 एवं बी.आर.-01पी.ए.-7102 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.एस.टी.एस.-004/2010 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 01.03.2015 तक है । दिनांक 02.03.2015 से 01.03.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

1. वाहन सं0- बी.आर.-01पी.ए.-7101	2. वाहन सं0- बी.आर.-01पी.ए.-7102
मॉडल- 2009	मॉडल- 2009
व्हील वेस-5545	व्हील वेस-5545
बैठान क्षमता- 37	बैठान क्षमता- 37
कर- 01.05.2015	कर- 01.05.2015
दुरुस्ती- 09.03.2015	दुरुस्ती- 09.03.2015
बीमा- 03.11.2015	बीमा- 03.11.2015
शपथ पत्र संलग्न	शपथ पत्र संलग्न
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न।	राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न।

अतः M/S जानकी ट्रॉसपोर्ट सर्विस के वाहन सं0-बी.आर.-01पी.ए.-7101 एवं बी.आर.-01पी.ए.-7102 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.एस.टी.एस.-004/2010 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 02.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-2) सहरसा से सिलीगुड़ी मार्ग पर श्रीमति लीला चौधरी के वाहन सं0-बी.आर.-11डी.-0677 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.एस.टी.एस.-011/1995 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 14.03.2015 तक है । दिनांक 15.03.2015 से 14.03.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

1. वाहन सं0- बी.आर.-11डी.-0677
मॉडल- 2005
व्हील वेस-205''
बैठान क्षमता- 53
कर- 03.03.2015
दुरुस्ती- 15.06.2015
बीमा- 16.06.2015
शपथ पत्र संलग्न ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न ।

अतः श्रीमति लीला चौधरी के वाहन सं0-बी.आर.-11डी.-0677 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.एस.टी.एस.-011/1995 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 15.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-3) कटिहार से रायगंज मार्ग पर श्री राजेन्द्र कुमार के वाहन सं0-बी.आर.-11सी.-8481 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-031/1990 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 09.05.2015 तक है । दिनांक 10.05.2015 से 09.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

1. वाहन सं0-बी.आर.-11सी.-8481
मॉडल- 2004
व्हील वेस-5200
बैठान क्षमता- 53
कर- 03.06.2015
दुरुस्ती- 20.01.2016
बीमा- 21.11.2015
शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न।

अतः श्री राजेन्द्र कुमार के वाहन सं0-बी.आर.-11सी.-8481 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.एस.टी.एस.-030/1990 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 10.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-4) राजगीर से सिलीगुड़ी मार्ग पर श्री विपीन सिंह के वाहन सं0-बी.आर.-11के.-1613 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-030/1990 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 11.04.2015 तक है । दिनांक 12.04.2015 से 11.04.2020 तक नये समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

1. वाहन सं0-बी.आर.-11के.-1613
मॉडल- 2010
व्हील वेस-5545
बैठान क्षमता- 53
कर- 29.04.2015
दुरुस्ती- 18.01.2016
बीमा- 30.01.2016
शपथ पत्र संलग्न नहीं है ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, प0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 11.04.2015 को समाप्त होने के 05 दिन बाद वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 16.04.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया है । आपत्तिकर्ता श्री प्रदीप कुमार शाह द्वारा उक्त नये समय सारणी एवं मार्ग पर आपत्ति की गयी है । अतः श्री विपीन सिंह के वाहन सं0-बी.आर.-11के.-1613 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-030/1990 (डब्लू.बी.) को नये समय-सारणी पर दिनांक 11.04.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-5) पटना से ठाकुरगंज मार्ग पर श्रीमति सुचिता चौधरी के वाहन सं0-बी.आर.-01पी.बी.-9797 एवं बी.आर.-01पी.बी.-9898 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-001/2010 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 09.02.2015 तक है । दिनांक 10.02.2015 से 09.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

वाहन सं0- बी.आर.-01पी.बी.-9797	वाहन सं0- बी.आर.-01पी.बी.-9898
मॉडल- 2009	मॉडल- 2010
व्हील वेस-5545	व्हील वेस-5545
बैठान क्षमता- 37	बैठान क्षमता- 37
कर- 12.01.2015	कर- 12.01.2015
दुरुस्ती- 19.06.2015	दुरुस्ती- 26.12.2015
बीमा- संलग्न नहीं है ।	बीमा- 15.03.2015
शपथ पत्र विहित प्रपत्र में नहीं हैं ।	शपथ पत्र विहित प्रपत्र में नहीं हैं ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न ।	राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न ।

अतः श्रीमति सुचिता चौधरी के वाहन सं0-बी.आर.-01पी.बी.-9797 एवं बी.आर.-01पी.बी.-9898 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-001/2010 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 10.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-6) पटना से ठाकुरगंज मार्ग पर श्रीमति सुधा सिंह के वाहन सं0-बी.आर.-09एफ.-8861 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-003/2010 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 15.02.2015 तक है । दिनांक 16.02.2015 से 15.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

वाहन सं0-बी.आर.-09एफ.-8861
मॉडल- 2009
व्हील वेस-5195
बैठान क्षमता- 53
कर- 24.02.2015
दुरुस्ती- 08.08.2015
बीमा- 21.11.2015
शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, प0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 15.02.2015 को समाप्त होने के 06 दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 09.02.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । अतः श्रीमति सुधा सिंह के वाहन सं0-बी.आर.-09एफ.-8861 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-003/2010 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 16.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-7) पटना से किशनगंज मार्ग पर श्री ब्रह्मस्वरूप सिंह के वाहन सं0-बी.आर.-01पी.बी.-7744 एवं बी.आर.-01पी.बी.-7474 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-005/2010 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 09.03.2015 तक है । दिनांक 10.03.2015 से 09.03.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

वाहन सं0-बी.आर.-01पी.बी.-7744	वाहन सं0-बी.आर.-01पी.बी.-7474
मॉडल- 2009	मॉडल- 2009
व्हील वेस-5195	व्हील वेस-5195
बैठान क्षमता- 37	बैठान क्षमता- 37
कर- 15.04.2015	कर- 15.04.2015
दुरुस्ती- 20.10.2015	दुरुस्ती- 20.10.2015
बीमा- 14.10.2015	बीमा- 14.10.2015
शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं ।	शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न नहीं है।	राज्य परिवहन प्राधिकार, पं0 बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न नहीं है।

अतः श्री ब्रह्मस्वरूप सिंह के वाहन सं0- वाहन सं0-बी.आर.-01पी.बी.-7744 एवं बी.आर.-01पी.बी.-7774 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-002/2010 (डब्लू.बी.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 10.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प० बंगाल अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (क-8) राजगीर से सिलीगुड़ी मार्ग पर श्री कृष्णकांत प्रसाद सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-21सी.-1761 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-021/1990 (डब्लू.बी.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 16.06.2015 तक है । दिनांक 17.06.2015 से 16.06.2020 तक नये समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

वाहन सं०- बी.आर.-21सी.-1761
मॉडल- 2007
व्हील वेस-5200
बैठान क्षमता- 53
कर- 05.07.2015
दुरुस्ती- 03.09.2015
बीमा- 29.04.2016
शपथ पत्र विहित प्रपत्र में नहीं है ।
राज्य परिवहन प्राधिकार, पं० बंगाल द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न नहीं है ।

अतः श्री कृष्णकांत प्रसाद सिंह के वाहन सं०- वाहन सं०- बी.आर.-21सी.-1761 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-021/1990 (डब्लू.बी.) को नये समय-सारणी पर दिनांक 17.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवली

बिहार-उड़ीसा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (ख-1) सासाराम से राउर केला मार्ग पर श्री युगल किशोर सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-26सी.-2305 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-001/2010 (ओ.आर.) निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 17.02.2015 तक है । दिनांक 18.02.2015 से 17.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण करने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात दिया गया है ।

वाहन सं०-बी.आर.-26सी.-2305
मॉडल- 2009
व्हील वेस-5195
बैठान क्षमता- 53
कर- 10.03.2015
दुरुस्ती- 04.12.2015
बीमा- 05.11.2015
शपथ पत्र संलग्न है ।
राज्य परिवहन प्राधिकार,, उड़ीसा द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की प्रति संलग्न ।

अतः श्री युगल किशोर सिंह के वाहन सं०- बी.आर.-26सी.-2305 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या-पी.एस.टी.एस.-001/2010 (ओ.आर.) को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 18.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए नवीकरण करने के प्रस्ताव पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-1) सुलतानगंज घाट से जसीडीह मार्ग पर डा0 शशि भूषण के वाहन संख्या-BR-08P-0353 (Model -2007) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-019/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-19.02.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 18.02.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-019/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु डा0 शशि भूषण द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट संहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-08P-0353 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2007
3. बैटान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - N.A
5. पथ कर - 31.05.2015
6. दुरुस्ती - 26.06.2015
7. बीमा - 27.06.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- अप्राप्त ।

अतः डा0 शशि भूषण के उक्त वाहन संख्या- BR-08P-0353 (Model -2007) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-019/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 19.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-18.02.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-2) बिहारशरीफ से बोकारो मार्ग पर श्री दिलीप कुमार सिन्हा एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा के वाहन संख्या-BR-21C-6768 (Model -2008) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-014/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-17.02.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 16.02.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-014/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री दिलीप कुमार सिन्हा एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-21C-6768 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2008
3. बैठान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - 5195
5. पथ कर - 21.01.2015
6. दुरुस्ती - 08.10.2015
7. बीमा - 01.09.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- अप्राप्त ।

अतः श्री दिलीप कुमार सिन्हा एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा के उक्त वाहन संख्या- BR-21C-6768 (Model -2008) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-014/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 17.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-16.02.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-3) पटना से चक्रधरपुर मार्ग पर श्रीमति कुमुद देवी के वाहन संख्या-BR-01PA-3522 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-037/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-06.04.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 05.04.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-037/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्रीमति कुमुद देवी द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-01PA-3522 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2009
3. बैटान क्षमता - 37
4. व्हील बेस - 4920
5. पथ कर - 15.06.2015
6. दुरुरस्ती - 03.06.2015
7. बीमा - 04.06.2015
8. शपथ पत्र - अप्राप्त ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 05.04.2015 को समाप्त होने के 14 दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 23.03.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । आवेदक द्वारा विलम्ब से आवेदन देने का कोई कारण भी आवेदन में नहीं दर्शाया गया है ।

अतः श्रीमति कुमुद देवी के उक्त वाहन संख्या- BR-01PA-3522 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-037/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 06.04.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-05.04.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-4) नवीनगर से टाटा मार्ग पर श्री निवास दूबे के वाहन संख्या-BR-26C-6777 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-032/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-09.03.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 08.03.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-032/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री निवास दूबे द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-26C-6777 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2009
3. बैटान क्षमता - 43
4. व्हील बेस - N.A
5. पथ कर - 14.05.2015
6. दुरुस्ती - 29.12.2015
7. बीमा - 06.09.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 08.03.2015 को समाप्त होने के एक माह बाद वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 10.04.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । परन्तु आवेदक द्वारा विलम्ब से आवेदन देने का कारण अस्वस्थ होना आवेदन में दर्शाया गया है ।

अतः श्री निवास दूबे के उक्त वाहन संख्या- BR-26C-6777 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-032/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 09.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-08.03.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-5) नवीनगर से टाटा मार्ग पर श्री गणेश नारायण सिंह के वाहन संख्या-BR-26C-6111 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-028/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-03.03.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 02.03.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-028/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री गणेश नारायण सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या — BR-26C-6111 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल — 2009
3. बैटान क्षमता — 53
4. व्हील बेस — 5895
5. पथ कर — 14.05.2015
6. दुरुस्ती — 29.12.2015
7. बीमा — 06.09.2015
8. शपथ पत्र — दिया गया है ।
9. प्रतिहरस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 02.03.2015 को समाप्त होने के एक माह एव 8 दिन के बाद वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 10.04.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । परन्तु आवेदक द्वारा विलम्ब से आवेदन देने का कारण अस्वस्थ होना आवेदन में दर्शाया गया है ।

अतः श्री गणेश नारायण सिंह के उक्त वाहन संख्या- BR-26C-6111 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-028/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 03.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-02.03.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-6) नवीनगर से टाटा मार्ग पर श्री गणेश नारायण सिंह के वाहन संख्या-BR-26B-6111 (Model -2007) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-029/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-03.03.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 02.03.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-029/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री गणेश नारायण सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-26B-6111 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2007
3. बैटान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - N.A
5. पथ कर - 10.04.2015
6. दुरुरस्ती - 17.07.2015
7. बीमा - 16.06.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 02.03.2015 को समाप्त होने के एक माह एव 8 दिन के बाद वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 10.04.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । परन्तु आवेदक द्वारा विलम्ब से आवेदन देने का कारण अस्वस्थ होना आवेदन में दर्शाया गया है ।

अतः श्री गणेश नारायण सिंह के उक्त वाहन संख्या- BR-26B-6111 (Model -2007) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-029/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 03.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-02.03.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-7) सासाराम से चाईबासा मार्ग पर श्री उमाशंकर सिंह के वाहन संख्या-BR-26C-3179 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-052/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-21.05.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 20.05.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-052/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री उमाशंकर सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट संहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-26C-3179 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2009
3. बैठान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - 205"
5. पथ कर - 26.07.2015
6. दुरुस्ती - 06.01.2016
7. बीमा - 06.12.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

अतः श्री उमाशंकर सिंह के वाहन संख्या-BR-26C-3179 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-052/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक-21.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-20.05.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-8) भागलपुर से गोड़डा मार्ग पर श्री अंजनी कुमार सिंह के वाहन संख्या-BR-51-7333 (Model -2010) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-043/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-17.05.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 16.05.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-043/2010 (जे.एच.) को नये समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट संहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-51-7333 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2010
3. बैठान क्षमता - 41
4. व्हील बेस - 4920
5. पथ कर - 29.06.2015
6. दुरुस्ती - 01.08.2015
7. बीमा - 27.03.2015
8. शपथ पत्र - विहित प्रपत्र में नहीं दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

अतः श्री अंजनी कुमार सिंह के वाहन संख्या-BR-51-7333 (Model -2010) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-043/2010 (जे.एच.) को नये समय सारणी पर दिनांक- 17.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-16.05.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-9) भागलपुर से गोड्डा मार्ग पर श्री दिनेश ठाकुर के वाहन संख्या-BR-51-6712 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-061/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-26.05.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 25.05.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-061/2010 (जे.एच.) को नये समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री दिनेश ठाकुर द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-51-6712 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2009
3. बैठान क्षमता - 40
4. व्हील बेस - 4920
5. पथ कर - 31.05.2015
6. दुरुस्ती - 08.10.2015
7. बीमा - 10.10.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

अतः श्री दिनेश ठाकुर के वाहन संख्या- BR-51-6712 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-061/2010 (जे.एच.) को नये समय सारणी पर दिनांक- 26.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-25.05.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-10) भागलपुर से दुमका मार्ग पर श्री नवीन शंकर ठाकुर के वाहन संख्या-BR-51-7270 (Model -2010) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-059/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-26.05.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 25.05.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-059/2010 (जे.एच.) को नये समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री नवीन शंकर ठाकुर द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-51-7270 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2010
3. बैठान क्षमता - 40
4. व्हील बेस - 4920
5. पथ कर - 08.06.2015
6. दुरुस्ती - 12.04.2016
7. बीमा - 10.01.2016
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

अतः श्री नवीन शंकर के वाहन संख्या- BR-51-7270 (Model -2010) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-059/2010 (जे.एच.) को नये समय सारणी पर दिनांक- 26.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-25.05.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-11) सहरसा से टाटा मार्ग पर श्री संजीव कुमार सिंह के वाहन संख्या-BR-09E-8221 (Model -2008) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-095/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-24.06.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 23.06.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-095/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - BR-09E-8221 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2008
3. बैटान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - 5545
5. पथ कर - 31.05.2015
6. दुरुस्ती - 15.04.2016
7. बीमा - 02.03.2016
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

अतः श्री संजीव कुमार सिंह के वाहन संख्या- BR-09E-8221 (Model -2008) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-095/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 24.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-23.06.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार झारखंड अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन

मद संख्या-(ग-12) सासाराम से चाईबासा मार्ग पर श्री सनोज कुमार सिंह के वाहन संख्या-BR-26C-3216 (Model -2009) के पक्ष में परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-075/2010 (जे.एच.) निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक-09.06.2010 से अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात् 09.06.2015 तक है । उक्त परमिट संख्या-पी.एसटी.एस.-075/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु श्री सनोज कुमार सिंह द्वारा आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट नवीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात संलग्न किये गये हैं :-

1. वाहन संख्या - 26C-3216 के निबंधन पुस्त की छायाप्रति
2. मॉडल - 2009
3. बैटान क्षमता - 53
4. व्हील बेस - 5195
5. पथ कर - 06.07.2015
6. दुरुस्ती - 12.02.2016
7. बीमा - 06.12.2015
8. शपथ पत्र - दिया गया है ।
9. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची- संलग्न है ।

अतः श्री सनोज कुमार सिंह के वाहन संख्या- 26C-3216 (Model -2009) के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- पी.एसटी.एस.-075/2010 (जे.एच.) को पुराने समय सारणी पर दिनांक- 09.06.2015 से अगले पांच वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक-08.06.2020 तक के लिये स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-1) बरबीघा से मानपुर अन्तर्देशीय मार्ग पर श्री मुरारी मनोहर के वाहन सं०-बी.आर.-53-5572 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-030/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 03.03.2015 तक है । दिनांक 04.03.2015 से 03.03.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-53-5572  
मॉडल- 2000  
व्हील वेस-205"  
बैटान क्षमता- 53  
कर- 29.04.2015  
दुरुस्ती- संलग्न नहीं है ।  
बीमा- संलग्न नहीं है ।  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्री मुरारी मनोहर के वाहन सं०-बी.आर.-53-5572 (मॉडल 2000) के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-030/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 04.03.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-2) मानपुर से बरबीघा अन्तर्देशीय मार्ग पर श्री बीरजू यादव के वाहन सं०-बी.आर.-2के.-1186 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-005/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 07.02.2015 तक है । दिनांक 08.02.2015 से 07.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-2के.-1186  
मॉडल- 2009  
व्हील बेस-4920  
बैठान क्षमता- 41  
कर- 01.04.2015  
दुरुस्ती- संलग्न नहीं है ।  
बीमा- संलग्न नहीं है ।  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 07.02.2015 को समाप्त होने के 5 दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 02.02.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । अतः श्री बीरजू यादव के वाहन सं०-बी.आर.-2के.-1186 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-005/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 08.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-3) मधवापुर से पटना अन्तर्देशीय मार्ग पर श्रीमती किरण शुक्ला के वाहन सं०-बी.आर.-06पी.ए.-5351 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-025/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 15.02.2015 तक है । दिनांक 16.02.2015 से 15.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०-बी.आर.-06पी.ए.-5351  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-संलग्न नहीं है ।  
बैठान क्षमता- 53  
कर- 18.03.2015  
दुरुस्ती- 25.12.2015  
बीमा- संलग्न नहीं है ।  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्रीमती किरण शुक्ला के वाहन सं०-बी.आर.-06पी.ए.-5351 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-025/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 16.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

## दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-4) बरबीघा से मानपुर अन्तर्देशीय मार्ग पर श्री केदार नाथ सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-2के.-6531 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-008/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 07.02.2015 तक है । दिनांक 08.02.2015 से 07.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-2के.-6531  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-4920  
बैठान क्षमता- 41  
कर- 11.02.2015  
दुरुस्ती- 25.02.2015  
बीमा- 08.12.2015  
शपथ पत्र- संलग्न नहीं है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 07.02.2015 को समाप्त होने के 5 दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 02.02.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । अतः श्री केदार नाथ सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-2के.-6531 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-008/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 08.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-5) गया मानपुर से बरबीघा अन्तर्देशीय मार्ग पर श्री सुबोध कुमार के वाहन सं०-बी.आर.-2के.-0531 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-010/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 07.02.2015 तक है । दिनांक 08.02.2015 से 07.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-2के.-0531  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-4920  
बैटान क्षमता- 41  
कर- 03.02.2015  
दुरुस्ती- 14.10.2015  
बीमा- 22.05.2015  
शपथ पत्र- संलग्न नहीं है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 81(2) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक 07.02.2015 को समाप्त होने के 5 दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 02.02.2015 को कार्यालय में समर्पित किया गया । अतः श्री सुबोध कुमार के वाहन सं०-बी.आर.-2के.-0531 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-010/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 08.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-6) पटना से रोसड़ा अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर श्रीमती सावित्री मिश्रा के वाहन सं०-बी.आर.-06पी.-8209 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-044/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 11.05.2015 तक है । दिनांक 12.05.2015 से 11.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-06पी.-8209  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-5195  
बैठान क्षमता- 53  
कर- 01.06.2015  
दुरुस्ती- 04.06.2015  
बीमा- 31.03.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्रीमती सावित्री मिश्रा के वाहन सं०-बी.आर.-06पी.-8209 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-044/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 12.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-7) कुशेश्वर स्थान से पटना अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर श्रीमती सावित्री मिश्रा के वाहन सं०-बी.आर.-33बी.-0617 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-045/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 11.05.2015 तक है । दिनांक 12.05.2015 से 11.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-33बी.-0617  
मॉडल- 2002  
व्हील वेस-5200  
बैठान क्षमता- 53  
कर- 11.05.2015  
दुरुस्ती- 26.06.2015  
बीमा- संलग्न नहीं है ।  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्रीमती सावित्री मिश्रा के वाहन सं०-बी.आर.-33बी.-0617 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-045/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 12.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-8) पटना से रोसड़ा अन्तर्देशीय मार्ग पर श्री विपिन कुमार के वाहन सं०-बी.आर.-31पी.-2139 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-046/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 11.05.2015 तक है । दिनांक 12.05.2015 से 11.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-31पी.-2139  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-5195  
बैटान क्षमता- 53  
कर- 03.07.2015  
दुरुस्ती- 20.10.2015  
बीमा- 03.09.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्री विपिन कुमार के वाहन सं०-बी.आर.-31पी.-2139 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-046/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 12.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-9) पटना से पूर्णियाँ अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणधीन परिचालित वाहन सं०-बी.आर.-1पी.ए.-0135 एवं बी.आर.-1पी.ए.-0235 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-037/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 11.04.2015 तक है । दिनांक 12.04.2015 से 11.04.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०- बी.आर.-1पी.ए.-0135  
मॉडल- 2006  
व्हील वेस-5195  
बैठान क्षमता- 37  
कर- 30.04.2015  
दुरुस्ती- 21.07.2015  
बीमा- 30.12.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

2. वाहन सं०-बी.आर.-1पी.ए.-0235  
मॉडल- 2006  
व्हील वेस-5195  
बैठान क्षमता- 37  
कर- 30.04.2015  
दुरुस्ती- 21.07.2015  
बीमा- 30.12.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणधीन परिचालित वाहन सं०-बी.आर.-1पी.ए.-0135 एवं बी.आर.-1पी.ए.-0235 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-037/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 12.04.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-10) पटना से नवादा अन्तर्देशीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणधीन परिचालित वाहन सं०-बी.आर.-21डी.-2634 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-069/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 06.07.2015 तक है । दिनांक 07.07.2015 से 06.07.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०-बी.आर.-21डी.-2634  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-4920  
बैठान क्षमता-41  
कर- 07.06.2015  
दुरुस्ती- 17.11.2015  
बीमा- 03.07.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणधीन परिचालित वाहन सं०-बी.आर.-21डी.-2634 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-069/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 07.07.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के अन्तर्देशीय मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (घ-11) कल्याणपुर से पटना अन्तर्देशीय मार्ग पर श्री अरविन्द कुमार के वाहन सं०-बी.आर.-०६पी.ए.-२००६ के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-०५०/२०१० निर्गत है जिसकी मान्य अवधि १२.०५.२०१५ तक है । दिनांक १३.०५.२०१५ से १२.०५.२०२० तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

१. वाहन सं०- बी.आर.-०६पी.ए.-२००६  
मॉडल- २०१०  
व्हील वेस-४९२०  
बैटान क्षमता-४१  
कर- १२.०७.२०१५  
दुरुस्ती- १२.०४.२०१६  
बीमा- ३०.०३.२०१६  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, १९८८ की धारा ८१(२) के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण उसके अवसान की तारीख से कम से कम १५ दिन पहले किये गये आवेदन पर किया जा सकेगा, परन्तु परमिट की वैधता दिनांक १२.०५.२०१५ को समाप्त होने के ५ दिन पहले वाहन स्वामी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक ०७.०५.२०१५ को कार्यालय में समर्पित किया गया । अतः श्री अरविन्द कुमार के वाहन सं०-बी.आर.-०६पी.ए.-२००६ के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-०५०/२०१० को पुराने समय-सारणी पर दिनांक १३.०५.२०१५ से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यवली

बिहार के इन्ट्रास्टेट मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (च-1) चाकन से चाँद इन्ट्रास्टेट मार्ग पर श्री प्रदीप कुमार सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-45पी.-1659 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-001/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 07.02.2015 तक है । दिनांक 08.02.2015 से 07.02.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०-बी.आर.-45पी.-1659  
मॉडल- 2001  
व्हील वेस-205"  
बैठान क्षमता-55  
कर- 20.03.2015  
दुरुस्ती- 19.05.2015  
बीमा- 01.04.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्री प्रदीप कुमार सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-45पी.-1659 (मॉडल-2001) के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-001/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 08.02.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

## दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार के इन्ट्रास्टेट मार्ग पर स्थायी परमिट के नवीकरण पर विचार हेतु प्राप्त आवेदन ।

मद संख्या (च-2) चाकन से चौद इन्ट्रास्टेट मार्ग पर श्री संजीव कुमार सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-45पी.-0541 के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या -पी.पी.-002/2010 निर्गत है जिसकी मान्य अवधि 26.05.2015 तक है । दिनांक 27.05.2015 से 26.05.2020 तक पुराने समय सारणी पर नवीकरण हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन के साथ परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है ।

1. वाहन सं०-बी.आर.-45पी.-0541  
मॉडल- 2009  
व्हील वेस-5195  
बैठान क्षमता-53  
कर- 23.06.2015  
दुरुस्ती- 15.05.2015  
बीमा- 25.06.2015  
शपथ पत्र- संलग्न है ।

अतः श्री संजीव कुमार सिंह के वाहन सं०-बी.आर.-45पी.-0541 (मॉडल-2009) के पक्ष में स्थायी परमिट संख्या - पी.पी.-002/2010 को पुराने समय-सारणी पर दिनांक 27.05.2015 से अगले पांच वर्ष के लिए स्थायी परमिट के नवीकरण पर प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

दिनांक 13 मई 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली

बिहार-प0 बंगाल अन्तर्राज्जिय मार्गों पर परमिट निर्गमन संबंधी अन्य विविध लंबित मामले पर विचार हेतु ।

मद संख्या-(छ-1)

दिनांक 30.09.2013 की राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के मद संख्या-प (18)1 एवं प (18)2 में भागलपुर से दुर्गापुर मार्ग पर श्रीमति शारदा शर्मा के वाहन संख्या- BR-2H-6511 एवं श्रीमति रूकसाना खानम के वाहन संख्या- BR-02Q-6786 के पक्ष में दोनों वाहनों को मिलाकर समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । निर्धारित समय सीमा के अन्दर दोनों वाहन स्वामियों श्रीमति शारदा शर्मा एवं श्रीमति रूकसाना खानम द्वारा परमिट निर्गमन हेतु अधिभार शुल्क उपलब्ध कराया गया । परन्तु उक्त दोनों वाहन स्वामियों में से एक वाहन स्वामी श्रीमति शारदा शर्मा द्वारा सभी आवश्यक कागजात भी उपलब्ध कराये गये, परन्तु दूसरे वाहन स्वामी श्रीमति रूकसाना खानम को बार-बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा परमिट निर्गमन हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । जिसके कारण उक्त स्वीकृत परमिट का निर्गमन नहीं किया जा सका है । राज्य परिवहन प्राधिकार की उक्त बैठक के मद संख्या- प (18)1 एवं प (18)2 की कार्यवाही में अंकित निर्णय निम्नवत् है -

“ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । कोई आपत्ति नहीं । प (18)1 एवं प (18)2 को मिलाकर समझौता भाया के अनुसार एक स्थायी परमिट स्वीकृत ।

परन्तु उक्त स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु दोनों वाहनों में से मात्र एक वाहन सं०- BR-2H-6511 के वाहन स्वामी श्रीमति शारदा शर्मा द्वारा ससमय अधिभार शुल्क सहित सभी वांछित कागजात उपलब्ध कराते हुए एक ही वाहन सं०- BR-2H-6511 के पक्ष में उक्त पूर्व में स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु अनुरोध किया गया है ।

जिस पर राज्य परिवहन प्राधिकार का अनुमोदन प्रार्थित है ।